राजस्थान सरकार
न्याय विभाग

क्रमांकः प. 2(5) जिलास्तर/न्याय/2016 जयपुर, दिनांकः 31.01.2020

समस्त जिला कलक्टर एवं
(जिला नोडल अधिकारी लाईटस)

विषयः—लाईट्स सॉफ्टवेयर की समीक्षा बैठक के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के पत्र क्रमांकः प.2(3)बैठक/न्याय/2019 दिनांक 07.01.2020 (प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से न्यायिक प्रकरणों की समीक्षा के सम्बन्ध में जिला कलक्टर के स्तर पर आयोजित होने वाली समीक्षा बैठकों में जिलें में स्थित विभागाध्यक्ष/निगम/बोर्ड इत्यादि के प्रकरणों की समीक्षा नहीं किये जाने के एवं उक्त प्रकरणों की समीक्षा प्रशासनिक विभाग/विभागाध्यक्ष के स्तर पर ही होने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया था।

उक्त पत्र के क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है, कि उक्त व्यवस्था उन्ही जिलों में प्रभावी होगी जहॉ विभागाध्यक्ष कार्यालय स्थित है या निगम मुख्यालय स्थित है या बोर्ड मुख्यालय स्थित है।

उक्तानुसार प्रकरण दर्शाये जाने की सुविधा लाईट्स सॉफ्टवेयर पर प्रारंभ की दी गयी है।

भवदीय

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

शासन संयुक्त सचिव

राज स्थान सरकार
न्याय विभाग

क्रमांकः प.2(3) बैठक / न्याय / 2019 जयपुर, दिनांक 07.01.2020

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव /
   प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव
2. समस्त विभागाध्यक्ष
3. जिला कलक्टर
   (जिला नोडल अधिकारी, लाईट्स)

विषयः– लाईट्स सॉफ्टवेयर की समीक्षा बैठक के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

न्याय विभाग के परिपत्र क्रमांक F1(10)Meeting/justice/2013-part/301 दिनांक 03.06.2015 के माध्यम से प्रशासनिक / जिला स्तर / विभागीय जिला स्तर पर न्यायिक प्रकरणों की समीक्षा के सम्बन्ध में नोडल अधिकारियों का मनोनयन करने के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया था जिसके तहत न्याय विभाग के स्तर पर समस्त प्रशासनिक विभागों की, प्रशासनिक विभागो के स्तर पर उनके अधीनस्थ विभागाध्यक्षो, निगम, बोर्ड इत्यादि एवं जिला स्तर पर जिला स्तरीय कार्यालयों की समीक्षा बैठक आयोजित की जा रही है।

उक्त परिपत्र के क्रम में विभागाध्यक्षों, बोर्ड, निगम के लम्बित प्रकरणों के संबंध में निम्न व्यवस्था प्रभावी होगी :–

जिला कलक्टर के स्तर पर आयोजित होने वाली समीक्षा बैठकों में विभागाध्यक्ष / निगम / बोर्ड इत्यादि के प्रकरणों की समीक्षा नहीं की जायेगी। उक्त प्रकरणों की समीक्षा प्रशासनिक विभाग / विभागाध्यक्ष के स्तर पर ही होगी व उक्त प्रकरण प्रशासनिक विभाग / विभागाध्यक्ष के स्तर पर ही दर्शाये जायेंगे।

अतः तदनुसार कार्यवाही करने हेतु संबंधित अधिकारियों / कर्मचारियों को निर्देशित करने का श्रम करें।

भवदीय

शासन संयुक्त सचिव

D:\SO\ P. 2(3) LITES Meeting & Minutes